ऑन लाईन नं.GCMS2024/121

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 36/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल –खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक–
मै0 जयशंकर नमकीन भंडार, 23–ए, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 27.08.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.04.2024 को समय दोपहर 02.454 पीएम बजे **श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल(विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स जयशंकर नमकीन भंडार, 23–ए, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल को अपना परिचय देकर निर्माण संस्थान पर रखे **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में पतीले में रखी लगभग 07–8 किलो **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** में से 2 किलो विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** का नगद भुगतान 150/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है।

अति. ज़िला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजीलाल** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** 2 किलो को 04 बराबर भागों में बांटकर बोतलों में पैक कर, प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किए और चारों बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2286** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2286** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./536/Act/2024/536 Dated 13-05-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2286 Sub- Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल(विकेता एवं मालिक), मैसर्स जयशंकर नमकीन भंडार, 23–ए, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **सफेद चना सब्जी (रिफांइड सोयाबीन से निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी जयशंकर नमकीन भंडार का मालिक है। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 27.04.2024 को निरीक्षण के समय आम जनता को खाद्य पदार्थ सफेद चना सब्जी रिफाइड सोयाबीन से निर्मित को विक्रय होना बताकर बाद जांच अमानक पाया जाकर उक्त नोटिस दिया गया है। वास्तविकता यह है कि हमारे द्वारा तड़का सामान्यतः वनस्पती घी में ही लगाया जाता है लेकिन उस समय वनस्पति घी दुकान पर मौजुद न होने के कारण रिफाइंड से सफेद चना सब्जी का तड़का लगाया गया था, जो बहुत ही कम मात्रा में था। हमारे द्वारा पूर्ण रूप से सावधानी से आम जनता को खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है। हमारे द्वारा जो खाद्य पदार्थ जिस तेल से बनाया गया था, उसका बिल पेश किया जा रहा है। हमारे द्वारा विक्रय किया गया, वह पूर्णतया सुरक्षित था, फिर भी प्रार्थी भविष्य में खाद्य पदार्थ को विक्रय करने में जो भी आवश्यक मापदंड होंगे, उनकी पालना करता रहेगा। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा ।। का उल्लंघन नहीं किया है। अतः आप द्वारा की गई कार्यवाही दफतर दाखिल फरमायी जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सफेद चना सब्जी (रिफाइड सोयाबीन से निर्मित)** का सैम्पल **K-2286** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./536/Act/2024/536 Dated 13-05-2024 द्वारा **Sub- Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी जयशंकर नमकीन भंडार का मालिक है। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 27.04.2024 को निरीक्षण के समय आम जनता को खाद्य पदार्थ सफेद चना सब्जी रिफाइड सोयाबीन से निर्मित को विक्रय होना बताकर बाद जांच अमानक पाया जाकर उक्त नोटिस दिया गया है। वास्तविकता यह है कि हमारे द्वारा तड़का सामान्यतः वनस्पती घी में ही लगाया जाता है लेकिन उस समय वनस्पति घी दुकान पर मौजुद न होने के कारण रिफाइंड से सफेद चना सब्जी का तड़का लगाया गया था, जो बहुत ही कम मात्रा में था। हमारे द्वारा पूर्ण रूप से सावधानी से आम जनता को खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है। हमारे द्वारा जो खाद्य पदार्थ जिस तेल से बनाया गया था, उसका बिल पेश किया जा रहा है। हमारे द्वारा विक्रय किया गया, वह पूर्णतया सुरक्षित था, फिर भी प्रार्थी भविष्य में खाद्य पदार्थ को विक्रय करने में जो भी आवश्यक मापदंड होंगे, उनकी पालना करता रहेगा। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा ।। का उल्लंघन नहीं किया है। अतः आप द्वारा की गई कार्यवाही दफतर दाखिल फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Safed Chana Subji (Made in Refined Soyabean oil)" bearing Code No and Sr. No. K-2286, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted oil does not conform the standard of Soyabean oil as prescribed in Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011.** पाया गया है जिसकी जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

फलस्वरूप अभियक्त **जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामजी लाल** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000—00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)